# राजस्थान सरकार
# परिवहन विभाग

## उल्लेखनीय उपलब्धियां

- भारवाहनों में ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। वर्ष के दौरान माह फरवरी 2010 तक 134257 चालान बनाये गये, 91.88 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई तथा 58059 भार वाहनों में से अतिरिक्त माल को उतरवाया गया।

- परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा मोटर वाहन नियमों की पालना की जांच में अनियमितता पाये जाने पर फरवरी, 2010 तक 4 लाख 59 हजार 867 वाहनों के चालान करके 63 हजार 255 वाहन सीज किये गये एवं 164.84 करोड़ रूपये की प्रशमन राशि वसूली गई।

- माह फरवरी 2010 तक अवैध रूप से संचालित वाहनों के 2 लाख 08 हजार 468 चालान किये गये, 19 हजार 472 वाहन जब्त करके 49.82 करोड़ रूपये की प्रशमन राशि वसूल की गई।

- राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्था लाईफ लाईन फाउण्डेशन के सहयोग से 7 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।

- चालक लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार किया गया है।

- परिवहन विभाग को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए सभी कार्यालयों में **MAY I HELP YOU** काउण्टर खोले गये, सिटीजन चार्टर लगाये गये, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

.........................

# नीतिगत निर्णय

- परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 239 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मार्ग खोलकर मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है।
- राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने एवं क्रियान्विति कराने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रोड़ सेफ्टी कौंसिल का गठन किया गया है। कौंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 21.12.09 को सम्पन्न हुई। प्रथम बैठक में सड़क सुरक्षा के उपायों हेतु दिये गये सुझावों एवं उनकी क्रियान्विति निम्नानुसार है–

(1) गॉवों व कस्बों आदि से एन.एच. पर मिलने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाना– लगभग 90 प्रतिशत सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाये गये है।

(2) वाहनों के लिए निर्धारित गतिसीमा एवं यातायात चिन्हों के बोर्ड मुख्य सड़कों पर लगाना।

(3) सड़क दुर्घटना करने वाले चालकों को सजा दिलाने का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम में करना– प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।

(4) रोड़ सेफ्टी फण्ड का गठन–प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गये।

(5) निगम की बसों एवं वाहन निर्माता कम्पनियों के वर्कशॉप में चिकित्सा किट उपलब्ध कराना।

(6) यातायात शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में अलग अध्याय के रूप में शामिल करना– समिति गठित।

(7) वाहनों की गतिसीमा देश के कानून के अनुसार संशोधित करना– प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।

(8) दो पहिया वाहनों का विक्रय चालक लाइसेंसधारी को ही करना।

(9) सभी संभागीय मुख्यालयों पर मोटर ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना– जयपुर एवं जोधपुर में भूमि चिन्हित।

(10) चालक लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व चालक का नेत्र परीक्षण नेत्र विशेषज्ञ से कराना एवं चालक के लिए रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य करना– प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।

- राज्य में समस्त परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर उन्हें आपस में जोड़ने के निर्णय के तहत् केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ की गई है। योजना में भारत सरकार द्वारा 660 लाख रूपये के कम्प्यूटर हाईवेयर एन.आई. सी. के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। आधारभूत सुविधाओं हेतु राज्य सरकार ने 204.50 लाख रू. की राशि उपलब्ध कराई है।

- नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा के अन्तर्गत 10 बेराजगार युवकों के सहायता समूहों को अधिकतम 40 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत एक समूह को उप नगरीय परिवहन का परमिट एवं अनुदान दिया गया है।

- नशे में वाहन चलाने वाले चालकों की जांच के लिए 40 ब्रेथ एनेलाइजर पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये गये।

- स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिलों में धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जा रहा है। माह फरवरी, 10 तक 4.10 लाख रिफ्लेक्टर लगाये गये है। इसमें सर्वप्रथम दौसा जिले का चयन कर जिले के समस्त धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये जा चुके हैं।

- सड़क दुर्घटना रोकने हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाई गई। चालक लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के निर्णय के फलस्वरूप लर्निंग लाईसेंस जारी करने से पूर्व टच स्क्रीन कियोस्क पर टेस्ट की अनिवार्यता प्रारम्भ की गयी। 27 जिलों में कियोस्क उपलब्ध कराये गये।

चालक के वाहन चालन का परीक्षण ड्राईविंग ट्रेक पर लेना अनिवार्य किया गया। परीक्षण के लिए कड़े मानदण्ड निर्धारित, लाईसेंस जारी करने से पूर्व समस्त निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये। प्रति निरीक्षक प्रतिदिन दोपहिया एवं चार पहिया चालकों का परीक्षण लेने की अधिकतम संख्या निर्धारित, नशे में वाहन चलाने व दुर्घटना में दोषी पाये जाने पर तीन माह के लिए लाईसेंस निलम्बित किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना कराने हेतु 5 इन्टरसेप्टर क्रय कर हाईवे पेट्रोलिंग उडनदस्तें तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा निर्धारित गतिसीमा में वाहन चलाने, निर्धारित लेन में वाहन चलाने, चालक द्वारा सीट बैल्ट लगाने, नशे में वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग नहीं करने के यातायात नियमों की पालना कराई जाती है। इन उड़नदस्तों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चित्तौड़गढ़, सीकर, अजमेर, बाडमेर एवं पाली में लगाया गया है।
- परिवहन वाहनों की मैकेनिकल फिटनेस जांच हेतु प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र के फिटनेस सेन्टर को प्रोत्साहन देने की योजना तैयार की गयी है। निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने वाले फिटनेस सेन्टर को जांच हेतु प्राधिकृत किया जाता है।